न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 52/2020 (75 एलआरए) मदनसिंह बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00083)

मदनसिंह पिता बसन्तीलाल जाति बंजारा निवासी आक्या गेहलोत तहसील गंगधार

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार
दिनांक 08.09.2020 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 283/2020

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत।

2 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश जैन पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 12.02.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 283/2020 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व [illegible] के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 283/2020 पटवारी हल्का कुम्भला की रिपोर्ट [illegible]। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को [illegible] सूचना के उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 08.09.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.12 19:05:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित किया गया कि मदनसिंह आ0 बसन्तीलाल जाति बंजारा निवासी आक्या गेहलोत तहसील गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा इस वर्ष संवत 2077 में खसरा नं. 183 की 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा कर चारा काटकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2076 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 707 निर्णय दिनांक 11.11.2019 से बेदखल किया गया था एवं रु. 110 शास्ति कायम की गई थी अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का कुण्डला के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम आक्या गेहलोत की आराजी खसरा नं. खसरा नं. 183 की 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 2.20 का 50 गुणा 110 रु. पेनल्टी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायमी पटवारी व टी.आर.ए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम आक्या गेहलोत की खसरा नं. 183 की 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थी को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह राजावत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि सभी अपीलांट्स को विधिवत तामील नहीं हुई, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं ली और न कोई जांच की। केवल रिपोर्ट पटवारी की साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है तथा एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों सर्वथा विपरीत है से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट्स का जमीन पर कब्जा नहीं है पहले भी नहीं था उक्त भूमि पर से चारा काटने का आरोप बताया गया है जो सरासर गलत व झूंठ है। अपीलांट भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा इस बात की अण्डरटेकिंग पेश करने को तैयार है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.12 19:35:07 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2020 अपास्त किया जावे।

5 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है, जिसकी तामील स्वंय अपीलान्ट को कराई गई है। इसलिए अपीलान्ट के अधिवक्ता यह तर्क मानने योग्य नही है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी माना जाकर भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी एवं निर्णय दिनांक 08.09.2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर से उसे दिनांक 11.11.2019 को बेदखल कर 110 रू0 की शास्ति से दण्डित किया गया था, अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वंत 2077 में अतिकमण किया है इसलिये वकील अपीलान्ट का दूसरा तर्क भी मानने योग्य नही है।

8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि नोटिस की प्रोपर तामील नही कराई गई–इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने जो तामील मानी है, उसकी [illegible] मानने के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष [illegible] किये गये है। तामील को मुख्य आधार माना जाना तर्क [illegible] तकनीकी/प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी जा सकती है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर [illegible] नही होना भी बता रहा है एवं दूसरी ओर जुर्माना राशि भी जमा करा रहा है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिकमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिकमण की श्रेणी में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.12 19:05:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.12 19:05:07 IST
Reason: SelfAttested